

शुभ,

उपरोक्त विभाग,
उप सचिव,
सरकार प्रदेश भारत ।

1/10
1/10

शिक्षण
संस्कृत बोर्ड आफ़ सैन्टरी स्कूल,
2/15, नया दिल्ली,
नई दिल्ली ।

विभाग क्रमांक-13

तारीख : दिनांक 20 अगस्त, 1992

विषय:- देन की रूप में दिल्ली राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र
दिये जाने की सम्बन्ध में ।

श्रीमान्,

उपरोक्त विभाग पर मुझे यह पत्र पढ़ने का श्रेय प्राप्त हुआ है कि देन की रूप में,
दिल्ली राज्य, सरकार को संस्कृत बोर्ड आफ़ सैन्टरी स्कूल, नई दिल्ली से
सम्बन्धित प्रमाण पत्र देने में वन राज्य सरकार को दिव्यनिधि प्रतिबन्धों
का अर्थ में अपत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यार्थियों को नवीकृत सैन्टरी स्कूल पर मनीमोहरण कायदा लागू होगा।
- 121 विद्यार्थियों की प्रत्यक्ष समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 136 विद्यार्थियों में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के शैक्षणिक वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उत्तरे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघीय विद्यार्थियों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित रूप से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की शर्त नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यार्थियों माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यार्थियों को संस्कृत सैन्टरी बोर्ड आफ़ सैन्टरी स्कूल, नई दिल्ली/काउन्सिल फ़ॉर दि एजुकेशन प्रोमोशन स्कूल वर्क-सिस्टम एजामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उत्तर प्रदेश परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता

- और राज्य सरकार से अनुदान तथा समाप्त हो जायेगी।
- 151 संघ के शिक्षक तथा शिक्षित कर्मचारियों को राष्ट्रीय तथा राज्य प्राथमिक शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
 - 166 कर्मचारियों को सेवा नहीं बनायी जायेगी और नई स्थायी प्राथमिक शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
 - 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी नई नियुक्ति किये जायेंगे, संघ उक्त पालन करेगी।
 - 181 विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/सीकरों में रखा जायेगा।
 - 191 उक्त बातों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संघ के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संघ द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उम्मा पालन करने में किसी प्रकार को कोई कृपा या शिथिलता करती या नहीं है तो, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनिवारित प्रमाण-पत्र आपस से लिया जायेगा।

अवधी,

असोक बनिकी
उप सचिव।

2024

संख्या 171511/15-1131/92-41391/91 तददिनादि

प्रतिनिधि, निर्माजित की सुनार्य स्व अक्सर कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 111 शिक्षा निदेशक, उज्जैन, डिप्टि कमिश्नर, 10 बाई रोड, मन्डला।
- 121 मन्डला उप शिक्षा निदेशक, भेठ।
- 131 शिक्षा विभाग निरीक्षक, तडारपुर।
- 141 निरीक्षक, अग्नि भारतीय विद्यालय, उज्जैन, मन्डला।
- 151 सुबन्ध, देन चौ स्टेशन, दिल्ली रोड, तडारपुर।

आज्ञा है,

असोक बनिकी
उप सचिव।



PRINCIPAL

RAINBOW SCHOOL

Delhi Road, Saharanpur (U.P.)